212बी·पी· बि0/2014-15

दिनांक 05.02.2014 को प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष महोदया, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, महोदया एवं अध्यक्ष, उच्च स्तरीय तकनीकी समिति लो0नि0वि0 की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्रीमती चित्रा स्वरूप	प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
2. श्री ए0के0 गुप्ता	प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क)
3. श्री हरेन्द्र नाथ पाण्डेय	मुख्य अभियन्ता(मु–2)
4. श्री आर0सी0 बरनवाल	मुख्य अभियन्ता(रा0मा0)
5. श्री वाई0के0गुप्ता	मुख्य अभियन्ता(मु–1)
6. श्री जे0पी0जैन	मुख्य अभियन्ता(विश्व बैंक)
7. श्री आर0एन0यादव	प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0
8. श्री वी0के0सिह	मुख्य अभियन्ता(मध्य क्षेत्र)
9. श्री संजय	मुख्य अभियन्ता(भवन)
10.श्री एस0पी0 सक्सेना	अधीक्षण अभियन्ता भवन वृत्त
11.श्री आर0आर0 सिंह	अधीक्षण अभियन्ता लखनऊ वृत्त
12.श्री आर0के0 गोयल	महाप्रबन्धक उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0
13.श्री अवनी कुमार	महाप्रबन्धक (तक0) उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0
14.श्री ए0के0 शुक्ला	प्रबन्धक (ई0)उ0प्र0 रा0नि0नि0लि0

एजेण्डा बिन्दु–1

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रचलित स्केल्टन को अपनाये जाने के संबंध में।

एजेण्डा बिन्दु–2

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भवन कार्य के दर विश्लेषण की भांति उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन कार्य की मदों में 10 प्रतिशत ठेकेदार लाभांश एवं 5 प्रतिशत ओवर हेड अर्थात कुल 15 प्रतिशत की धनराशि अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

एजेण्डा बिन्दु–3

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में प्रचलित दिल्ली शैड्यूल आफ रेट्स को अपनायें जाने के संबंध में।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निर्माण पद्धतियों में आमूल चूल परिवर्तन हो जाने के कारण लोक निर्माण विभाग का स्केल्टन व्यवहारिक नही रह गया है। अतः भविष्य में भवन निर्माण कार्यो हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रचलित स्केल्टन को अपनाया जाना उचित होगा। CPWD के स्केलेटन में ठेकेदार का लाभांश तथा ओवर हेड समाहित है।

समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली शैड्यूल आफ रेट्स केवल उन्हीं मदों हेतु अपनाया जा सकता है, जिन मदों के लिए उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा निर्गत शैड्यूल आफ रेट्स में दरें उपलब्ध न हो।

FEB 2014

एजेण्डा बिन्दु–4

इटावा मैनपुरी, कुरावली चार लेन मार्ग का चौडीकरण हेतु पूर्व में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बैठक दिनांक–11.06.13 में विशिष्टियों में परिवर्तन हेतु अनुमोदन हुआ था, जो अधिशासी अभियन्ता बी0डी0डी0–1(एन0एच0) के पत्रांक 862 / बी0डी0डी0–1(एन0एच0) / 40एम0टी0 –11 / 05 दिनांक–14.06.13 द्वारा जारी किया गया था। मुख्य अभियन्ता (मु0–1) ने अपने पत्रांक–57 कैम्प / मु0अभि0(मु–1) / 2012 (उ0स्त0बै0) दिनांक–28.01.14 द्वारा यह अवगत कराया है कि मुख्य अभियन्ता कानपुर द्वारा उच्चस्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख में कुछ त्रुटियां थी यथा बी0डी0एफ0 की गणना, एम0एस0ए0 की गणना इत्यादि। मुख्य अभियन्ता (मु0–1) द्वारा पूर्व में दिये गये अनुमोदन को निरस्त करने की संस्तुति की गयी है,

अतः समिति द्वारा यह निर्णय किया गया है कि पूर्व में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव दिनांक–11.06.13, जो अधिशासी अभियन्ता, बी0डी0डी0–1(एन0एच0) लखनऊ के पत्रांक 862 / बी0डी0डी0–1(एन0एच0) / 40 एम0टी0–11 / 05 दिनांक 14.06.13 द्वारा जारी किया गया था, उसे निरस्त किया जाता है।

(एच0एन0पाण्डेय) मुख्य अभियन्ता(मु–2) एवं सदस्य संयोजक उच्च स्तरीय तकनीक समिति लो0नि0वि0 लखनऊ	(आर0सी0बरनवाल) मुख्य अभियन्ता(रा0मा0) एवं सदस्य उच्च स्तरीय तकनीकी समिति लो0नि0वि0 लखनऊ	(वाई0के0गुप्ता) मुख्य अभियन्ता(मु–1) एवं सदस्य उच्च स्तरीय तकनीकी समिति लो0नि0वि0 लखनऊ
(जे0पी0 जैन) मुख्य अभियन्ता(विश्व बैंक) एवं सदस्य उच्च स्तरीय तकनीकी समिति लो0नि0वि0 लखनऊ	(ए0के0 गुप्ता) प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क) एवं सदस्य उच्च स्तरीय तकनीकी समिति लो0नि0वि0 लखनऊ	(चित्रा स्वरूप) प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष तथा अध्यक्ष उच्च स्तरीय तकनीकी समिति लो0नि0वि0 लखनऊ

पत्रांक– 05/बी0डी0डी0-1(एन0एच0)/40एम0टी0-11/14 दिनांक– 6-2-14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क), लो0नि0वि0, लखनऊ।
3. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, (परि0 / नियो0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लि0।
5. मुख्य अभियन्ता, (रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, (मु0–1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (मु0–2), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0

(हरेन्द्र नाथ पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता(मु–2)
लो0नि0वि0, लखनऊ।

General-letter-1